फौजदारी अपील संख्या 557/2025
ऋषिराज बनाम राज. सरकार व अन्य

10.04.2026

अपीलार्थी–अभियुक्त ऋषिराज द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण करने पर पत्रावली आज पेशी में ली गई। अपीलार्थी–अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया गया। अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश शर्मा उपस्थित। प्रत्यर्थी संख्या–1 राज.राज्य की ओर से लोक अभियोजक उपस्थित। प्रत्यर्थी–परिवादी संख्या–2 श्री बेवरेज की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप नाहर उपस्थित।

पत्रावली आज मध्यस्थता हेतु प्रेषित की गई, जो दोनों पक्षकारान के राजीनामा होने से पुनः प्राप्त हुई।

अपीलार्थी–अभियुक्त ऋषिराज व प्रत्यर्थी–परिवादी संख्या–2 श्री बेवरेज की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप नाहर ने उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से संयुक्ततः राजीनामा का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विद्वान विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या–1, अजमेर द्वारा दिनांक 13.11.2024 को अपीलार्थी–अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया गया था, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी–अभियुक्त द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील में अपीलार्थी–अभियुक्त व प्रत्यर्थी–परिवादी संख्या–2 के मध्य विवादित चैक को लेकर लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। दोनों पक्षकारान के मध्य विवादित चैक को लेकर कोई लेन–देन शेष नहीं है, न ही विवाद शेष है। अतः राजीनामा के आधार पर अपील का निस्तारण किया जावें। अपीलार्थी–अभियुक्त व अधिवक्ता प्रत्यर्थी–परिवादी संख्या–2 की ओर से प्रस्तुत राजीनामा की इबारत उपस्थित पक्षकारान को पढ़कर सुनाई व समझाई गई, जो सुन समझकर उभयपक्षों ने स्वैच्छा से सही होना स्वीकार किया। प्रार्थना–पत्र की पुश्त पर पृथक से राजीनामा तस्दीक किया गया, जो शामिल पत्रावली रहे।

दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

दोनों पक्षों की ओर से लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने से, पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामा बाद जांच तस्दीक किया गया। पक्षकारान की ओर से निवेदन किया गया कि चैक में वर्णित सम्पूर्ण राशि प्रत्यर्थी–परिवादी संख्या–2 द्वारा अपीलार्थी–अभियुक्त से प्राप्त कर ली गई है। पक्षकारान के मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं होना बताया गया है। पक्षकारान लोक अदालत की भावना से राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जरिये राजीनामा अपील का निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से हुए राजीनामा के आधार पर विद्वान विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या–1, अजमेर द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या 103/2021 (सी.आई. एस. नं. 287/2021) श्री बेवरेज (श्री फिनसेव प्रा. लि. का एक भाग) बनाम श्री विश्वकर्मा एन्टरप्राईजेज व अन्य में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 13.11.2025 को अपास्त किया जाकर, अपीलार्थी–अभियुक्त ऋषिराज शर्मा पुत्र श्री सुरेशचन्द शर्मा प्रोपराईटर श्री विश्वकर्मा एन्टरप्राईजेज गली नम्बर 1, प्लाट नम्बर 65, पंचवटी कॉलोनी, आदर्श नगर, अजमेर को अपराध अंतर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट के आरोप से जरिये राजीनामा दोषमुक्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को शीघ्र प्रेषित की जावे। यदि अभियुक्त का गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो, तो आज ही मंगवाया जावे। **सी.आई.एस. में इसका इन्द्राज किया जावे।** अपीलार्थी–अभियुक्त को अभिरक्षा से मुक्त किया गया। पत्रावली अंतिम निस्तारण हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत में दिनांक 09.05.2026 को प्रस्तुत हो।

(विक्रान्त गुप्ता)
सेशन न्यायाधीश, अजमेर

10.04.2026

अपीलार्थी–अभियुक्त ऋषिराज शर्मा मय अधिवक्ता व प्रत्यर्थी–परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप नाहर ने उपस्थित होकर यह राजीनामा पेश किया। अपीलार्थी–अभियुक्त ऋषिराज शर्मा की पहचान अधिवक्ता श्री मुकेश शर्मा ने की। प्रत्यर्थी–परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप नाहर उपस्थित है। उभय पक्षों को राजीनामे की इबारत पढ़कर सुनाई व समझाई गई, जो उन्होंने स्वेच्छा से सही होना स्वीकार किया एवं कोई विवाद शेष नहीं होना प्रकट किया। साथ ही अपील का निस्तारण लोक अदालत की भावना से किये जाने का निवेदन किया। अतः राजीनामा तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल पत्रावली रहे।

(विक्रान्त गुप्ता)
सेशन न्यायाधीश, अजमेर